न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :77 / 2024 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ. मदनलाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री शीतल खण्डेलवाल पुत्र श्री शम्भूदयाल खण्डेलवाल एफबीओ मैसर्स एस खण्डेलवाल एण्ड कम्पनी, सुन्दर दास मार्ग दौसा(राज0) निवासी गोपाल मन्दिर के पीछे व्यास कॉलोनी दौसा।
2. श्रीमति प्रियंका खण्डेलवाल पत्नि श्री मनीष खण्डेलवाल प्रोपरायटर मैसर्स राधिका गृह उद्योग प्लाट नम्बर ए—7 बी, रघुनाथ कॉलोनी गलता गेट जयपुर (राज0) निवासी प्लॉट नं. ए—7 बी रघुनाथ कॉलोनी रामगंज बाजार जयपुर।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस धारा 26 की उप धारा 2(II) एवं दंडनीय धारा 51

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः—20.01.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक डॉ मदन लाल गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.03.2024 को 12.39 **PM** पर मैसर्स एस खण्डेलवाल एण्ड कम्पनी, सुन्दर दास मार्ग दौसा पर पहुँचा। वहां पर श्री शीतल खण्डेलवाल पुत्र श्री शम्भूदयाल खण्डेलवाल मिला। जिसको अपना परिचय देकर परिचय पूछने पर विक्रेता ने स्वयं को मैसर्स एस खण्डेलवाल एण्ड कम्पनी, सुन्दर दास मार्ग दौसा का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा रजि0 बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता श्री शीतल खण्डेलवाल की उपस्थिति में मैसर्स एस खण्डेलवाल एण्ड कम्पनी, सुन्दर दास मार्ग दौसा निरीक्षण करने पर पाया कि अलग अलग खाद्य पदार्थो के साथ प्लास्टिक बैग में लगभग 500—500 ग्राम के 22 पैकेट पॉलीपैक बिरयानी चाट मसाला शॉन—जयपुर ब्राण्ड **(Birayni Chat Masala Shaan-E Jaipur Brand Polypack)** रखा हुआ पाया गया। जिसका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता को फार्म 5 ए की लिखित सूचना देते हुये विक्रेता श्री शीतल खण्डेलवाल व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ बिरयानी चाट मसाला शॉन—जयपुर ब्राण्ड को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्लास्टिक बैग में रखे लगभग 500—500 ग्राम के 22 पैकेट में से 4 पैकेट सील पैक ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड का चयन कर बिरयानी चाट मसाला शॉन—जयपुर ब्राण्ड **(Birayni Chat Masala Shaan-E Jaipur Brand Polypack) 4** पैकेट को इलेक्ट्रॉनिक मशीन से तुलवाकर चार साफ व सूखे प्लास्टिक डिब्बों में 500—500 ग्राम बिरयानी चाट मसाला शॉन—जयपुर ब्राण्ड सील पैक नियमानुसार भरकर वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता श्री शीतल खण्डेलवाल को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 2 किलोग्राम बिरयानी चाट मसाला शॉन—जयपुर ब्राण्ड के 600/— (अक्षरे छः सौ रूपये) मात्र नकद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कियें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा क्रय किये गये 2 किलोग्राम बिरयानी चाट मसाला शॉन—जयपुर ब्राण्ड को श्री शीतल खण्डेलवाल एवं गवाहान को दिखाकर उक्त को चार साफ व सूखे प्लास्टिक डिब्बों में 500—500 ग्राम बराबर—बराबर भरकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन लगाकर नियमानुसार एयरटाइट बन्द किया तथा नियमानुसा चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार ले बल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान एवं लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:09 IST
Reason: SelfAttested

कोड एवं क्रमांक **AG-4209** अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर श्री शीतल खण्डेलवाल तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. **AG-4209** को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री शीतल खण्डेलवाल ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री शीतल खण्डेलवाल मैसर्स एस खण्डेलवाल एण्ड कम्पनी सुन्दर दास मार्ग दौसा से नमूना क्रय करते समय अन्य फर्म का वारंटी बिल मांगे जाने पर श्री शीतल खण्डेलवाल ने मैसर्स राधिका गृह उद्योग प्लॉट नं. ए–7 बी, रघुनाथ कॉलोनी गलता गेट जयपुर का बिरयानी चाट मसाला शॉन–जयपुर ब्राण्ड **(Birayni Chat Masala Shaan-E Jaipur Brand Polypack)** क्रय करने का वारंटी बिल क्रमांक 2802 दिनांक 04.01.2024 की छायाप्रति प्रस्तुत की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को को दिनांक 21.03.2024 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर को तैयार शुदा नमूना जमा करवाने हेतु भेजा गया एवं नमूना जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 21.03.2024 को जमा करवाये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक जयपुर से उक्त खाद्य पदार्थ बिरयानी चाट मसाला शॉन–जयपुर ब्राण्ड **(Birayni Chat Masala Shaan-E Jaipur Brand Polypack)** की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./949/एक्ट/2024/1196–ए दिनांक 03.04.2024 प्राप्त हुई। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ बिरयानी चाट मसाला शॉन–जयपुर ब्राण्ड **(Birayni Chat Masala Shaan-E Jaipur Brand Polypack)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 विनियम नं. 2.9.20(2) के उल्लंघन के कारण कान्ट्रावेन **(Contravene)** स्तर का पाया गया है। जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. की धारा 58 में वर्णित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त नियत तारीख पेशी पर उपस्थित आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियु[illegible] बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:09 IST
Reason: SelfAttested

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधि[illegible] विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./949/एक्ट/2024/1196–ए दिनांक 03.04.2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ बिरयानी चाट मसाला शॉन–जयपुर ब्राण्ड **(Birayni Chat Masala Shaan-E Jaipur Brand Polypack)** के नमूने की जांच रिपोर्ट में **Edible Common Sa[illegible]** की मात्रा 28.21 प्रतिशत पाई गई है। **Salt Content** पांच प्रतिशत से अधिक होने पर खाद्य पदार्थ के लेबल पर इसकी घोषणा अंकित की जानी चाहिये थी। इस प्रकार से अप्रार्थी अभियुक्तगण ने बिरयानी चाट मसाला शॉन–जयपुर ब्राण्ड **(Birayni Chat Masala Shaan-E Jaipur Brand Polypack)** को कान्ट्रावेन स्तर का बनाकर विक्रय कर

मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के नियम 2.9.20(2) एवं धारा 26 की उप धारा 2(V) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खाद्य पदार्थ बिरयानी चाट मसाला मैसर्स राधिक गृह उद्योग जयपुर से बिल नम्बर 2802 दिनांक 04.01.2024 द्वारा खरीद कर अपनी फर्म पर विक्रय किया गया था, वह जिस तरह से आया था उसी तरह से बेचा गया है। प्रार्थी की किसी तरह की कोई गलती नहीं है।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ बिरयानी चाट मसाला शॉन–जयपुर ब्राण्ड **(Birayni Chat Masala Shaan-E Jaipur Brand Polypack)** के नमूना संख्या **AG-4209** की खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 03.04.2024 में नमक की मात्रा 5 प्रतिशत से अधिक को लेबल पर दर्शाना चाहिये था, जो जानकारी के अभाव में लेबल पर नहीं लिखा जा सका। भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जायेगी। कृपया कम से कम जुर्माना लगाया जाकर परिवाद का निस्तारण करने की कृपा करे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एल. एस./949/एक्ट/2024/1196–ए दिनांक 03.04.2024 का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बिरयानी चाट मसाला शॉन–जयपुर ब्राण्ड **(Birayni Chat Masala Shaan-E Jaipur Brand Polypack)** का नमूना खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 विनियम नं. 2.9.20(2) के उल्लंघन के कारण कान्ट्रावेन **(Contravene)** स्तर का पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उप धारा 2(V) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा कान्ट्रावेन **(Contravene)** स्तर के खाद्य पदार्थ बिरयानी चाट मसाला शॉन–जयपुर ब्राण्ड **(Birayni Chat Masala Shaan-E Jaipur Brand Polypack)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 श्रीमति प्रियंका खण्डेलवाल पत्नि श्री मनीष खण्डेलवाल प्रोपरायटर मैसर्स राधिका गृह उद्योग प्लॉट नम्बर ए–7 बी, रघुनाथ कॉलोनी रामगंज बाजार गलता गेट जयपुर पर 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 20.01.2025 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांकः FSSA/2025/ दिनांकः– .01.2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकि[illegible]
3. श्री शीतल खण्डेलवाल पुत्र श्री शम्भूदयाल खा[illegible]कबीओ मैसर्स एस खण्डेलवाल एण्ड कम्पनी, सुन्दरदास मार्ग दौसा निवासी [illegible] मो. 9829659768
4. श्रीमति प्रियंका खण्डेलवाल प[illegible] प्रोपरायटर मैसर्स राधिका गृह उद्योग प्लॉट नम्बर ए–7 बी, रघुनाथ कॉलोनी रामगंज बाजार गलता गेट जयपुर। मो. 9829244006

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा